न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवबंद, सहारनपुर।

सत्र परीक्षण 85/2021

राज्य बनाम विनय उर्फ मोगली

मु0अ0सं0 230/2018
अन्तर्गत धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम
थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं सुश्री निधि, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबंद, जिला सहारनपुर आप अभियुक्त विनय उर्फ मोगली को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करती हूँ–

यह कि दिनांक 10.03.2018 को समय 22:48 बजे स्थान जंगल ग्राम बाबूपुर नगली अन्तर्गत थाना देवबन्द, जनपद सहारनपुर में आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा आपकी जामा तलाशी पर आपके कब्जे से एक अदद तमन्चा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर व दो जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। जिसको रखने का आपके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो आयुध अधिनियम की धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोप की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः 07.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

दिनांकः 07.11.2023

(सुश्री निधि)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
देवबन्द, सहारनपुर ।